फर्द अहकाम

निशान्त V/S बनाम सुभाष कौर

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

केस संख्या 28/2016 प्रार्थना-पत्र

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
	13-03-18	वकील प्रार्थी उप०। पेशकार सरकार उप० पत्रावली का अवलोकन किया गया व वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बाद अवलोकन प्रकरण पत्रावली व बहस, मनन प्रकरण हाजा में जवाब सरकार पेश नहीं किया गया है। न्यायहित में प्रकरण जवाब सरकार में नियत की जाकर दिनांक 17-4-18 को पेश हो तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	17-4-18	वकील प्रार्थी उप०। पेशकार सरकार उप०। P.O. सा० दौरे के पधारे हैं। गत आदेश की पालना में दिनांक 24-4-18 को पेश हो। प्रस्तुतकार उप-खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	03-5-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट केरली में पेश हुई। फरीकैन के पक्षकारान की समझाईश की गयी। राजीनामा पेश नहीं किया गया। वादी का वाद बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है। फरीकैन ने जवाब सरकार पेश किया जा चुका है।	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

फर्द अहकाम

निशान्त व5 बनाम गुलाब कौर व

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

प्रार्थना पत्र

20/2016

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष का एक ही परिवार के पिता-पुत्र है न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में अंतिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 23-3-16 को जारी किया गया है। उभयपक्षकारान में आपसी विवाद नहीं बचे। इसके लिए अप्रार्थीगण को ता फैसला मूलवाद पाबन्द किया जाना न्याय संगत है कि भूमि वाके ग्राम हनुमान नगर के ख.नं. 3726/0.41, 3727/0.66 व 3731/3850 रकबा 0.31 है० वाके एवं हाल ख०नं० 2264/0.28, 2265/0.17 है०, 2266/0.38, 2270/0.16, 2271/0.17 है० वाके ग्राम गांधीनगर व हाल ख०नं० 2272/0.06, गै०मु० चाह, 2254/0.26 व 2258/0.10, 2259/0.05, 2261/0.15, 2262/0.12, 2263/0.16 तथा हाल ख०नं० 3537/0.69, 3554/0.80, 3945/3553 रकबा 0.62 है० वाके ग्राम गांधीनगर तहसील विराटनगर में प्रार्थीगण की हिस्सेदारी की भूमि का हस्तान्तरण ना करें तथा मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण ता फैसला मूल वाद पाबन्द रहें पत्रावली फैसल शुमार होकर हमशिला मूलवाद रहे। निर्णय आज मजमा ए आम में सुनाया गया।	

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
... 2018